

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

क्रमांक— 7002 / 25

// ज्ञापन //

10 July/25
उज्जैन, दिनांक—

प्रति,

प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक,
समस्त न्यायालय,
जिला मुख्यालय उज्जैन (म.प्र.)।

विषय:— अंतिम तर्क/अंतिम प्रक्रम के लिए नियत लंबित/निराकृत के 05 प्रकरण प्रत्येक कार्यदिवस में डिजिटাইजेशन सेंटर के स्कैनिंग सेल में नहीं भेजे जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ:— कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4499 दिनांक 01.05.2025।

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत यथाआदेशानुसार लेख है कि प्रत्येक न्यायालयों से प्रतिदिन कुल 05 प्रकरण जो कि अंतिम तर्क/अंतिम प्रक्रम/निराकृत प्रकरणों के लिए नियत है डिजिटাইजेशन सेंटर के स्कैनिंग सेल में भेजे जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था किन्तु यह तथ्य प्रकाश में आया है कि न्यायालयों से लंबित व निराकृत प्रकरण नियमित रूप से डिजिटাইजेशन सेंटर में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं।

अतः उक्त संबंध में समस्त प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे 03 दिवस में अपना स्पष्टीकरण मय पीठासीन अधिकारीगण की स्पष्ट टीप के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में 05 प्रकरण डिजिटাইजेशन सेंटर के स्कैनिंग सेल में क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं। नियत समयावधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


वास्ते— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन(म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

// ज्ञापन //

क्रमांक- 4499 / 25

-1 MAY 2025
उज्जैन, दिनांक-

प्रति,

समस्त न्यायालय

जिला मुख्यालय उज्जैन (म.प्र.)।

विषय:- अंतिम तर्क/अंतिम प्रकृत के लंबित प्रकरणों एवं निराकृत प्रकरणों की स्कैनिंग करवाये जाने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आदेशानुसार लेख है जिला न्यायालय उज्जैन में डिजिटাইजेशन के कार्य हेतु निम्नानुसार बिंदुओं पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है:-

01. प्रतिदिन कुल 05 प्रकरण जो कि अंतिम तर्क/अंतिम प्रकृत/निराकृत प्रकरणों के लिए नियत है डिजिटাইजेशन सेंटर में भेजे जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने का कष्ट करें।

02. लंबित प्रकरणों को ईआरपी सॉफ्टवेयर के पेंडिंग ऑप्शन तथा डिस्पोजल प्रकरणों को लंबित डिस्पोजल ऑप्शन के माध्यम से ही स्कैनिंग सेंटर, जिला मुख्यालय उज्जैन में भेजे जाने का कष्ट करें।

03. समस्त न्यायालयीन प्रकरणों पर फोटोकॉपी, नॉट टू बी स्कैन (X) वाली मुद्रा (सील) आवश्यक दस्तावेजों पर अंकित किये जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने का कष्ट करें।

04. निराकृत प्रकरणों को जमा करने के पूर्व प्रत्येक माह अभिलेख स्कैनिंग किये जाने के उपरान्त ही अभिलेखागार अनुविभाग में भेजे जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित किये जाने तथा मासिक निराकृत प्रकरणों में इस आशय का प्रमाणीकरण कि अभिलेख स्कैन किया जा चुका है, प्रमाणित कर संबंधित लिपिक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार,


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन(म.प्र.)